न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—30 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1.लखवीरसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2.कशमीरसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
3.वतनदीनसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
—वादीगण

बनाम

1. कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. शाखा प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा संगरिया ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांकः— 29.04.2019

वादीगण ने यह वादपत्र बाबत घोषणा के तहत इस आशय को पेश किया है कि वादीगण एवं प्रति संख्या 1 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण तथा प्रति संख्या 1 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक नं.14 ए.एम.पी.खाता संख्या 11 / 8 खाता कृपाल सिह उर्फ हरपाल सिंह वगैरा ज. सं. 2069—72 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति संख्या 1 कृपाल सिंह उर्फ हरपाल सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके पुत्रगण वादी संख्या 1 व 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें वादी संख्या 1 व 2 का उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब.का हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या प्रकार वादी संख्या 2 के समस्त हक व हिस्सा की आराजी उनके वारीस वादी संख्या 3 की जद्दी जायदाद है जिसमें वादी संख्या 3 का अपने पिता वादी संख्या 2 के साथ ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। इसलीए वादी संख्या 2 के समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादी संख्या 2 व 3 ब.हि.ब. के हकदार है। अतःदावा की दफा 3 में दर्ज प्रति स. 1 के नाम समस्त हक व हिस्सा की आराजी में से 1 / 2 हिस्सा का वादी संख्या 1 तथा शेष 1 / 2 हिस्सा के वादी संख्या. 2 व 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। मुकर्रा तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण 1 वा 3 ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की चित्रप्रति पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। बैंक की और से जवाब दावा पेश नहीं बैंक हित सुरक्षित रखा गया। जवाब दावा के साथ सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्ड सिखान से जारी वारिस प्रमाण—पत्र कशमीरसिंह पुत्र हरपालसिंह व वारिस प्रमाण—पत्र कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह मूल ही पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी लखवीरसिंह का शपथ—पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4

सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जमाबन्दी प्रदश 1 करवाई गई जिसे शामिल मिसल किया गया । पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रतिवादी कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह के पिता गुरबक्श सिंह के नाम की जमाबन्दी चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 36/30 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है प्रदर्श–3 तथा चक नं.14 एएमपी के खाता संख्या 12/13 गुरबक्शसिंह पुत्र दलीपसिंह जमाबन्दी सम्वत् 2045 की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिन्हे शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई । वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह के पिता गुरबक्श सिंह के नाम की जमाबन्दी चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 36/30 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है प्रदर्श–3 तथा चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 12/13 गुरबक्शसिंह पुत्र दलीपसिंह जमाबन्दी सम्वत् 2045 पेश की । पैतृक सम्पति से वाद वादीगण साबित है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा व प्रस्तुत पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह के पिता गुरबक्श सिंह के नाम की जमाबन्दी चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 36/30 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है प्रदर्श–3 तथा चक नं.14 एएमपी के खाता संख्या 12/13 गुरबक्शसिंह पुत्र दलीपसिंह जमाबन्दी सम्वत् 2045 के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण के सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रकबा वाके चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 11/8 खाता कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में दर्ज कुल 3.985 है.नहरी आराजी में से 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 1 तथा शेष 1/ हिस्सा के बादी संख्या 2 व 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–30 / 2019

1.लखवीरसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2.कशमीरसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
3.वतनदीनसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
–वादीगण

बनाम

1.कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।
2. शाखा प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा संगरिया ।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादीगण के सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रकबा वाके चक नं. 14 एएमपी के खाता संख्या 11/8 खाता कृपालसिंह उर्फ हरपालसिंह जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में दर्ज कुल 3.985 है.नहरी आराजी में से 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 1 तथा शेष 1/ हिस्सा के बादी संख्या 2 व 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.04.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 14:30:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: